# मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दि0 08.05.2023 को मुख्य सचिव सभागार में आयोजित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की संचालन समिति की सप्तम बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति सदस्यों/प्रतिनिधियों की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य–सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से संचालन समिति की सप्तम बैठक की एजेण्डावार कार्यवाही निम्न प्रकार प्रारम्भ की गईः–

**कार्यसूची संचालन समिति 7.1 :- दिनांक 24.05.2022 को सम्पन्न षष्ठम संचालन समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालनः**

दिनांक 24.05.2022 को आयोजित संचालन समिति की षष्ठम बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गयी।

**कार्यसूची संचालन समिति 7.2 :– वर्ष 2022–23 की राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना, उसके सापेक्ष शासन से अवमुक्त बजट व व्यय प्रगति :–**

वर्ष 2022–23 में संचालन समिति द्वारा संस्तुत रू0 41898.12 लाख की कार्ययोजना के सापेक्ष कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार द्वारा कुल रू0 32015.00 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत की गई थी। स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष शासन द्वारा कुल रू0 30323.82 लाख का बजट अवमुक्त किया गया। अवमुक्त बजट के सापेक्ष स्वीकृत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कुल रू0 25631.71 लाख की धनराशि सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरणों को आवंटित की गई, जिसके सापेक्ष दिनांक 31.03.2023 तक व्यय की प्रगति रू0 22972.49 लाख (लगभग 90 प्रतिशत) हुई।

2– शासन से अवमुक्त रू0 30323.82 लाख व क्रियान्वयन अभिकरणों को आवंटित रू0 25631.71 लाख के अन्तर अर्थात् रू0 4692.11 लाख से सम्बन्धित गतिविधियों व आवंटन न हो पाने के कारणों के सम्बन्ध में भी सदस्यगणों को अवगत कराया गया। इस धनराशि में मानव वन्यजीव संघर्ष के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों (यथा–सोलर फेन्सिंग, हाथी रोधी खाई खुदान, हाथी व सुअर रोधी सुरक्षा दीवार) हेतु वर्ष 2022–23 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त रू0 10.71 करोड़ की सशर्त स्वीकृतियां भी सम्मिलित हैं, जिसमें भारत सरकार द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान (WII) से इसकी Comprehensive Study कराए जाने के निर्देश निर्गत किए गये हैं। मुख्य सचिव महोदय द्वारा सुरक्षा दीवार के स्थान पर बायो फेन्सिंग दीवार का निर्माण किए जाने व इसके लिए उपयुक्त भूमि, ढाल, उचित दिशा आदि के उपयुक्त प्रजातियों के चयन व उनके रोपण के डिजाइन/पैटर्न हेतु केन्द्रीयकृत व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गये, जिस हेतु एक वरिष्ठ वनाधिकारी को इसका नोडल अधिकारी बनाते हुए एक सैल का गठन किया जाए व इसके लिए एक बजट लाइन खोली जाए।

3– अपर प्रमुख वन संरक्षक, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा सुझाव दिया गया कि कैम्पा की धनराशि के भारत सरकार में जमा 10 प्रतिशत राज्यांश से वन व वन्य जीवों सम्बन्धी विभिन्न शोधों के लिए प्रस्ताव

प्रेषित किए जा सकते हैं। इस क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि इसके अंतर्गत राज्य के लिए महत्वपूर्ण वन्य जीवों से खेती की सुरक्षा तथा मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण जैसे ज्वलन्त विषयों यथा– बन्दरजनित समस्याओं, बायोफैन्सिंग, वनाग्नि नियंत्रण आदि से सम्बन्धित कैम्पा में अनुमन्य गतिविधियों को सम्मिलित किया जाए।

**कार्यसूची संचालन समिति 7.3 :– कार्यकारी समिति द्वारा निरूपित वार्षिक कार्ययोजना 2023–24 को संचालन समिति के समक्ष संस्तुति हेतु प्रस्तुत किया जाना।**

समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2023–24 हेतु कैम्पा योजना के अंतर्गत कुल रू0 32554.46 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान स्वीकृत है। दिनांक 12.04.2023 को सम्पन्न कार्यकारी समिति की बैठक में समिति द्वारा कुल रू0 411.87 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना का निरूपण किया गया है, जिसका घटकवार विवरण निम्नानुसार है :–

**(धनराशि रू0 करोड़ में)**

| वचनबद्ध गतिविधियां | | | IWLMP | एन0पी0वी0 | अर्जित ब्याज | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्षतिपूरक वनीकरण | कैट प्लान | अन्य विशिष्ट कार्य | | | | |
| 75.34 | 70.00 | 19.91 | 4.18 | 220.88 | 21.56 | 411.87 |

संचालन समिति द्वारा प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना से सम्बन्धित गतिविधियों पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिए गए :–

1. वार्षिक कार्ययोजना में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम के उद्देश्य से सुरक्षा दीवार, ट्रेंच, सोलर फेंसिंग आदि की उपयोगिता का अध्ययन भारतीय वन्य जीव संस्थान (WII) से कराए जाने हेतु प्रस्तावित रू0 1.00 करोड़ की धनराशि को बढ़ाते हुए रू0 3.00 करोड़ की धनराशि प्राविधानित की जाए जिसमें WII के माध्यम से Research Study on carrying capacity of Rajaji Tiger Reserve & Corbett Tiger Reserve हेतु रू0 1.00 करोड़ की धनराशि भी सम्मिलित होगी।
2. वन्यजीव प्रबंधन संबंधी शोध/अध्ययन के अन्तर्गत Population Estimation and Management of Key wildlife species including Swamp deer, pheasants, leopards etc. हेतु रू0 1.50 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया जाना।
3. मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम के दृष्टिगत समिति द्वारा प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव, उत्तराखण्ड से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निम्न गतिविधियों हेतु अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान किये जाने का निर्णय लिया गया:–
   (i) प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम के दृष्टिगत Hi Tech Equipment for enhancement & enforecement मद में प्राविधानित रू0 0.32 करोड़ की धनराशि को बढ़ाकर Tranquilizing guns, camera traps, drones & accessories for surveillance, Hiring of vehicles for QRTs, Sattellite radio collars, motion censor solar lights, electronic surillance system व wildlife rescue kit आदि हेतु कुल रू0 8.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया जाय।

   (ii) मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम हेतु अन्य नवाचारी उपायों को अपनाए जाने के दृष्टिगत Innovative approaches for combating HWC के अंतर्गत वन सीमाओं के निकट

Geranium, lemon grass, citrus, chilli आदि प्रजातियों को सम्मिलित करते हुए Biofencing व Bee hive fencing लगाया जाना, Alternate cropping, Advance warning system, extension of 'living with Leopard programme' हेतु कुल रू0 5.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया जाय।

4. अनिवार्य गतिविधियों के अंतर्गत आई0डब्लू0एल0एम0पी0 (Integrated Wildlife Management Plan) मद के अंतर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में वन्य जीवों से सुरक्षा हेतु अध्यारोपित शर्तों के अनुसार कराए जाने वाले कार्यों हेतु प्राविधानित रू0 4.18 करोड़ की धनराशि के प्राविधान से अवगत कराया गया।

5. मई, 2022 में World Forestry Congress में वनों के लैण्डस्केप में रेस्टोरेशन किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रथम बार एफ0एल0आर0 (Forest Landscape Restoration) के अंतर्गत 4187 है0 वन क्षेत्र में रू0 13.47 करोड़ की धनराशि से रेस्टोरेशन कार्य प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसे सम्बन्धित लैण्डस्केप में कम्पोजिट प्लान के अनुसार किया जाएगा। इसके अतर्गत जल संरक्षण कार्य, वन व वनाग्नि सुरक्षा, अवांछनीय प्रजातियों का उन्मूलन तथा आवश्यकतानुसार ड्रोन की सहायता से सीड ब्रॉडकास्टिंग (Seed Copter) आदि इण्टरवेन्शन्स सम्मिलित किए गये हैं, जिन्हें 3–5 वर्षीय Perspective Plan के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। समिति के समक्ष रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के धारकुड़ी लैण्डस्केप में एफ0एल0आर0 का प्रस्ततिकरण भी किया गया।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा इसमें निर्देश दिये गये कि इस पद्धति पर प्रथम बार कार्य प्रस्तावित किया जा रहा है, अतः इसके अन्तर्गत प्रारम्भ में लक्ष्यों को कम करते हुए 930 है0 क्षेत्र में लैण्डस्केप रेस्टोरेशन कार्य हेतु रू0 6.07 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अन्तर्गत संपादित किये जाने वाले कार्य हेतु किसी अन्य राज्य जिसमें यह कार्य हुआ हो, की सफलता को भी देख लिया जाए।

6. उत्तरकाशी वन प्रभाग के अंतर्गत स्नो लैपर्ड कन्जर्वेशन सेन्टर हेतु गतवर्ष रू0 4.87 करोड़ की धनराशि स्वीकृत थी, जिस हेतु धनराशि टी0ए0सी0 वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण न हो पाने के कारण इसे वर्ष 2023–24 की कार्ययोजना में पुनः कैरी फॉरवर्ड के रूप में रखा गया है।

7. डिजिटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट बाउण्ड्रीज के अंतर्गत पूरे प्रदेश की फॉरेस्ट बाउण्ड्रीज के सर्वेक्षण के उद्देश्य से रू0 20 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0–202/1995–Lafarge matter में दायर विभिन्न IAs में अपने आदेश दिनांक 06.07.2011 में भी वनों की सीमाओं के चिन्हीकरण जियो रैफ्रेन्सिग तथा इस हेतु जी.आई.एस. आधारित decision support system विकसित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी पूर्व में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि स्टेट बाउण्ड्रीज के सर्वे हेतु वर्तमान में राजस्व विभाग के स्तर पर कार्यवाही गतिमान है। अतः सम्बन्धित विभाग से चर्चा कर यह देख लिया जाए कि कार्यों में डुप्लीकेसी की स्थिति न हो।

8. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा कैम्पा के अन्तर्गत United Nations Frame work Convention on Climate Change (UNFCCC) में परिभाषित REDD+ गतिविधियां यथा वनीकरण, जल संवर्द्धन, आजीविका जिनसे वनों के ह्रास को कम करने, वनों के संरक्षण व संवर्द्धन, पोषणीय प्रबन्धन तथा उनके कार्बन स्टॉक

में वृद्वि में सहायता मिलती है, के निर्धारित प्रारूप में प्रोजेक्ट तैयार कर Voluntary Carbon Market (VCM)में Carbon Financing हेतु प्रस्तुत किए जाने की कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि कैम्पा को ऐसे कार्यों से कार्बन फाइनेन्स की प्राप्ति हो सके। समिति द्वारा इस पर सहमति दी गयी तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा इसके लिए विभाग में पृथक से सैल गठित किये जाने के निर्देश भी दिए गये।

9. बैठक में प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के दृष्टिगत High tech equipments for enhancing & enforcement एवं Other innovative interventions for combating HWC मदों के अंतर्गत समुचित धनराशि का प्राविधान किया जाए। इस हेतु प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) से तद्नुसार प्रस्ताव प्राप्त कर वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाए।
10. समिति को रू0 8.66 करोड़ की धनराशि से 2518 कि0मी0 वन मार्गों/अश्व मार्गों के रखरखाव हेतु प्राविधानित धनराशि से अवगत कराया गया। समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि वन मार्गों/अश्व मार्गों के रखरखाव मद के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न ट्रैक रूट्स के रखरखाव हेतु भी धनराशि सम्मिलित की जानी चाहिए।
11. मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गए कि वनाग्नि से वनों की सुरक्षा व इसकी रोकथाम हेतु इसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए राज्य हित में वनाग्नि सुरक्षा प्रबन्धन के अंतर्गत समुचित धनराशि का प्राविधान किया जाए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि गतवर्ष की कार्ययोजना में वनाग्नि सुरक्षा प्रबन्धन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा रू0 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई थी, जिसका वर्ष 2023–24 में आकार बढ़ाकर रू0 17.19 करोड़ प्रस्तावित किया जा रहा है।
12. मृदा एवं जल संरक्षण के अंतर्गत प्रस्तावित रू0 26.30 करोड़ की धनराशि के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2022–23 के अंतर्गत विभिन्न क्रियान्वयन इकाईयों को स्प्रिंगशेड मैनेजमेन्ट कंसोर्सियम के आधार पर सूख रहे जलस्रोतों/जल धाराओं के पुनर्जीवन/उपचार के उद्देश्य से इनकी प्रदेश स्तर पर कुल 410 डी0टी0आर0 (Detailed Technical Report) तैयार किए जाने हेतु धनराशि आवंटित की गई थी। वर्ष 2023–24 के अंतर्गत तैयार डी0टी0आर0 अनुसार कार्य सम्पादित किए जाने हेतु रू0 26.30 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि मृदा एवं जल संरक्षण कार्य प्रदेश की प्राथमिकता है, इससे जहां एक ओर जल संग्रहण क्षमता व भूमि की आर्द्रता विकसित होती है, वहीं दूसरी ओर यह वनाग्नि सुरक्षा हेतु सहायक सिद्ध होगी। अतः कैम्पा के अंतर्गत मृदा एवं जल संरक्षण के अंतर्गत भी समुचित धनराशि का प्राविधान किया जाए।

13. बन्दरों से स्थानीय जनता को खेती एवं अन्य प्रकार से होने वाली क्षति के न्यूनीकरण हेतु वर्ष 2023–24 में प्रस्तावित रू0 3.20 करोड़ की धनराशि जो कि बन्दरों को पकड़ने, बन्ध्याकरण करने, उन्हें दूरस्थ स्थान पर छोड़ने व बन्दर बाड़े हेतु प्रस्तावित है, के सम्बन्ध में समिति द्वारा राज्य हित में इस मद में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान करते हुए इसके अंतर्गत कुल रू0 5.00 करोड़ की धनराशि प्राविधानित किए जाने के निर्देश दिए गये।

14. समिति के सदस्यों को वर्ष 2023–24 के अंतर्गत वानिकी शोध हेतु प्रस्तावित रू0 2.88 करोड़ के अंतर्गत सम्मिलित विभिन्न शोधों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि रिसर्च विंग द्वारा कराए जा रहे शोधों में राज्य से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों को भी सम्मिलित किया जाए, इस हेतु समिति द्वारा इस मद के अंतर्गत रू0 1.00 करोड़ की धनराशि का अतिरिक्त प्राविधान किए जाने का निर्णय लिया गया।

15. उपरोक्त निर्णयों के साथ संचालन समिति द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2023–24 की वार्षिक कार्ययोजना को अनुमोदित करते हुए इसे अन्तिम स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्तानुसार लिए गये निर्णय अनुसार समिति द्वारा वर्ष 2023–24 हेतु कुल रू0 423.46 करोड़ की कार्ययोजना हेतु संस्तुति प्रदान की गई, जिसका गतिविधिवार विवरण निम्नानुसार है :–

## Annual Plan of Operation 2023-24

**(Amount in Rs Crore and Area in Ha.)**

| S.No | CAF Act/Rules | Head | Activity | Proposed | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Phy. Target | Fin. Target |
| **1** | | **Site-specific activities as per section 6 (a) of the CAF Act, 2016** | | | |
| 1 | Mandatory Activity | Compensatory afforestation | CA Advance Soil Work | 3025.89 | 32.92 |
| 2 | | | CA Plantation | 2200 | 12.08 |
| 3 | | | CA Plantation Maintenance | 14825 | 30.34 |
| | | | **Sub-Total** | | **75.34** |
| 4 | | Catchment Area Treatment Plan | CAT Tapovan-Vishnugad HEP (2011-12) | 73 ha, 341 Nos. | 9.13 |
| 5 | | | CAT Singoli-Bhatwari HEP (2011-12) | 1254 Nos. | 2.06 |
| 6 | | | CAT Lata-Tapovan HEP (2011-12) | 2777 Nos. | 1.85 |
| 7 | | | CAT Phatta-Byung HEP (2011-12) | 92 Nos. | 1.20 |
| 8 | | | CAT Vishnugad-Peepalkoti HEP (2017-18) | 626 ha, 147 Nos. | 8.06 |
| 9 | | | CAT Lakhwar HEP (2017-18) | 2214 ha, 6973 Nos. | 22.02 |
| 10 | | | CAT Vyasi HEP (2018-19) | 341 ha, 631 Nos. | 3.21 |
| 11 | | | CAT Naitwar-Mori HEP (2019-20) | 329 ha, 338 Nos. | 1.64 |
| 12 | | | CAT Srinagar HEP (2011-12) | consolidation phase | 0.43 |
| 13 | | | CAT Jamrani MPP (2020-21) | 834 ha, 1428 Nos. | 18.41 |
| 14 | | | CAT Khutani HEP (2018-19) | 25 ha | 0.31 |
| 15 | | | CAT PMU | 5 Nos. | 1.67 |
| | | | **Sub-Total** | | **70.00** |
| 16 | | Integrated wildlife Management Plan | IWMP - Integrated Wildlife Management Plan | 1 | 4.18 |
| | | | **Sub-Total** | | **4.18** |

| S.No | CAF Act/Rules | Head | Activity | Proposed | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Phy. Target | Fin. Target |
| 17 | | Other | Other Roadside Plantations | 170.66 km and 31350 plants | 6.64 |
| 18 | | | Other Roadside Plantation Maintenance | 32.24 km | 0.47 |
| 19 | | | Other Gap Filling Plantations | 192.96 ha and 23940 plants | 1.52 |
| 20 | | | Other Gap Filling Plantation Maintenance | 0.18 ha and 208901 plants | 0.32 |
| 21 | | | Other Dwarf Species Plantation | 149.72 ha and 84742 plants | 1.91 |
| 22 | | | Other Dwarf Species Plantation Maintenance | 191.40 ha and 88800 | 0.55 |
| 23 | | | River Training | 334 | 8.50 |
| | | | **Sub-Total** | | **19.91** |
| | | **Total site specific Activities under CA** | | | **169.43** |
| **2** | | **Activity as per Rule 5(2) of CAF Rules, 2018** | | | |
| 1 | 5(2)a | ANR - Assisted Natural Regeneration (ANR) | Assisted Natural Regeneration (ANR) in degraded forests | 2171 | 7.30 |
| | | | **Sub-Total** | **2171** | **7.30** |
| 2 | 5(2)b | AR-Artificial Regeneration | Plantations (Oak, Deodar and other Mixed Plantations) | 1284.85 | 5.83 |
| 3 | | | Plantation Maintenance under NPV | 1043.00 | 2.21 |
| 4 | | | Mixed Plantations in Van Panchayats | 766.50 | 1.79 |
| 5 | | | Pasture Development in Van Panchayats | 334.00 | 0.90 |
| 6 | | | Theme based plantation of other economically important species for promoting forest based income generation in Van Panchayats | 507.00 | 4.53 |
| | | | **Sub-Total** | | **15.26** |
| 7 | | | Maintenance of Demonstration plots & trials for Research (R&D) | 40.23 ha | 1.42 |
| 8 | | | Community Plantations and Mobilization during Harela / Van Mahotsava | 32500 plants | 1.12 |
| 9 | | | Plantation Activities in compliance of Hon. NGT orders in OA 200/2014, OA 673/2015 and OA 325/2015 | 130.44 | 0.17 |
| 10 | | | Urban / Aesthetic Plantations | 7 cities / | 4.00 |

| S.No | CAF Act/Rules | Head | Activity | Proposed Phy. Target | Proposed Fin. Target |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | locations | |
| | | | **Sub-Total** | | **6.71** |
| 11 | | | Namami Gange - ASW | 1104.00 | 8.93 |
| 12 | | | Namami Gange - Plantation | 1390.00 | 4.72 |
| | | | **Sub-Total** | | **13.65** |
| | | | **TOTAL (AR)** | | **35.62** |
| 13 | 5(2)c | Silvicultural Operation | Strengthening of modern Seed Storage facility for important nurseries and research nursery maintenance (R&D) | 3 Nos. & 4.86 ha | 0.16 |
| 14 | | | Nursery Raising for plantations under CA, Others & NPV | 3278904 | 4.59 |
| 15 | | | Nursery Maintenance | 9649764 | 4.99 |
| | | | **Sub-Total** | | **9.74** |
| 16 | | | Development of nursery techniques for Lyonia, Hippophae, Osmanthus & Catamix & modernization of soil testing lab (R&D) | 5 Nos. | 0.07 |
| 17 | | | Establishment & maintenance of seed plots / orchards (R&D) | 6 Nos. & 15.10 ha | 0.24 |
| 18 | | | Application of drone technology for seed sowing in identified inaccesible forest areas in Pithoragarh and Gopeshwar (R&D) | 2 locations | 0.13 |
| | | | **Sub-Total** | | **0.44** |
| 19 | 5(2)d | Protection of Plantation and forests | Protection & Conservation of Bugyals / Alpine Meadows | 2392 | 4.02 |
| 20 | | | Study on impact / efficacy of electric fencing, protection walls, trenches etc. for elephants and wild boars and on combating HWC through WII | LS | 2.00 |
| 21 | | | Research / Study on carrying capacity of CTR & RTR | 2 | 1.00 |
| 22 | | | Population Estimation and Management of Key Species including Swamp Deer (Haridwar Div), Pheasants, Leopards etc. | 1 | 1.50 |
| 23 | | | Establishment of Structures for mitigation of human wildlife conflict at critical locations | LS | 5.00 |
| 24 | | | Purchase of Multiutility Vehicles for Frontline Staff for forest & wildlife protection | 32.00 | 4.00 |
| | | | **Sub-Total** | | **17.52** |
| 25 | | | Digitization of forest boundaries | Entire State | 20.00 |

| S.No | CAF Act/Rules | Head | Activity | Proposed | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Phy. Target | Fin. Target |
| | | | | Forest | |
| 26 | | | Mapping, Construction and Maintenance of boundary pillar in Van Panchayats | 1068.00 | 2.00 |
| 27 | | | Microplanning & Preparation of Combined microplans in select Van Panchayats | 827 | 1.25 |
| | | | **Sub-Total** | | **23.25** |
| 28 | 5(2)e | Pest and disease control in forests | | | |
| 29 | 5(2)f | Forest fire Prevention and control Operations | Fire Watchers | Fire watchers - 1970 equipment - 777 crew stations - 59 | 7.98 |
| 30 | | | Establishment of modern fire crew stations in forest divisions | 40 Nos. | 8.00 |
| 31 | | | Hiring of Vehicles during forest fire season (max 4 months) | 118 | 0.80 |
| 32 | | | Forest Fire control measures in Van Panchayats | 0 | 0.41 |
| | | | **Sub-Total** | | **17.19** |
| 33 | 5(2)g | Soil and moisture conservation works | Springshed Management under Soil and Water Conservation Works including cost of Detailed Technical Reports, Plantations and implementation | 410 | 26.3 |
| 34 | | | Soil and Water Conservation works in VPs (checkdams, rejuvenation of water sources) | 429 | 1.07 |
| 35 | | | SMC works in compliance of Hon. NGT orders in OA 200/2014, OA 673/2015 and OA 325/2015 | 759 | 2.02 |
| | | | **Sub-Total** | | **29.39** |
| 36 | 5(2)h | Voluntary relocation of villages from protected areas | | | |
| 37 | 5(2)i | Improvement of wildlife habitat | **Forest Landscape Restoration (FLR)** / Eco-restoration & habitat improvement of degraded areas under a composite approach | 930.00 | 6.07 |
| 38 | | | Maintenance – Eradication of Lantana & other invasive species, grass plantation – year 1 & year 2 | 14337.91 | 7.87 |
| 39 | | | Food for rescued wild animals | 4.00 | 0.40 |
| 40 | | | Deployment of Quick Response Squads to address human wildlife conflict in habitations supported with customized rescue vehicles, | 32.00 | 4.22 |

| S.No | CAF Act/Rules | Head | Activity | Proposed | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Phy. Target | Fin. Target |
| | | | modern rescue equipment, gears etc. | | |
| 41 | | | Innovative approches for combating Human Wildlife Conflict (HWC) such as<br>Biofencing (@ 0.5 lakh/ha) -<br>Alternate cropping- (@ 0.75 lakh/ha),<br>Beehive fencing, advance warning system installation,<br>Living with leopard program in indentified villages | 200 ha<br>100 ha<br>12 Nos<br>10 Nos | 5.00 |
| 42 | | | Anti-poaching related activities | 0.00 | 1.55 |
| 43 | | | Solid Waste Management in protected areas (Gangotri National Park) | 8.00 | 0.20 |
| 44 | | | Construction of Snow Leopard Conservation Centre in Uttarkashi | 1.00 | 4.87 |
| 45 | | | Construction & Maintenance of Drinking Water holes for wild animals | 62.00 | 0.20 |
| 46 | | | Human Wildlife Conflict Management ( dealing with human monkey conflict mitigation ) | Ls | 5.00 |
| 47 | | | Pasture / Chaur Development in protected areas | 935 | 1.10 |
| | | | **Hi Tech equipment for enhancement & enforecement** | | |
| 49 | | | Wildlife Rescue Kit | 4.00 | 2.00 |
| 50 | | | Procurement of Double/Single Barrel tranquilizing guns with accessories | 10.00 | 0.75 |
| 51 | | | Procurement of Camera Traps | 200.00 | 0.50 |
| 52 | | | Drones & Accessories for surveillance | 20.00 | 0.50 |
| 53 | | | Hiring charges for vehicles of QRTs incl customization | 25.00 | 1.00 |
| 54 | | | Satellite Radio collars and accessories for wild animals tracking | 25.00 | 1.00 |
| 55 | | | Automatic Motion Sensor solar lights | 100.00 | 0.25 |
| 56 | | | Electronic surveillance systems (eEye) | 1.00 | 2.00 |
| | | | **Sub-Total** | | **44.48** |
| 57 | 5(2)j | Planting and rejuvenation of forest cover on non- | | | |

| S.No | CAF Act/Rules | Head | Activity | Proposed | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Phy. Target | Fin. Target |
| | | forest land falling in wildlife corridors | | | |
| 58 | 5(2)K | Establishment maintenance of animal rescue centre and veterinary treatment facilities for wild animals | Construction & Maintenance of Rescue Centre | 1.00 | 3.60 |
| 59 | 5(2)m | Management of biological diversity and diversity and biological resource | Collaborative Research, study of biodiversity & management of mosses, lichens, studies and research, Other State specification(Research-1 cr) | 10 Nos. (incl 10.70 ha & 1.2 km) | 1.44 |
| 60 | | | Study on biodiversity of algae and orchids' under head demonstration plots & trials (Research) | 5 Nos. | 0.07 |
| | | | **Sub-Total** | | **5.11** |
| | | | **TOTAL (Rule 5(2)** | | **190.04** |
| **3** | | **Activities as per Rules 5(3) of the CAF Rule, 2018** | | | |
| 1 | 5(3)a | Establishment, Maintenance of modern nurseries | Development of Centralized modern nurseries / plant production facilities (Zero cost Centralized Nurseries) | 4 locations | 3.00 |
| | | | **Sub-Total** | | **3.00** |
| 2 | 5(3)b | Promoting conservation sustainable use and documentation of biological diversity | Research Documentation on stock, natural habitat & management of biodiversity of important flora (R&D) | 10 Nos. | 0.28 |
| 3 | 5(3)c | Purchase and maintenance of equipment of devices for communication, information and technology | Research Info Network, digital library & equipment (R&D) | 2 | 0.06 |
| 4 | | | Communication & Information Technology, Computer at Range level | LS | 1.10 |
| | | | **Sub-Total** | | **1.16** |
| 5 | 5(3)d | Construction up gradation and maintenance of inspection paths, forest roads in forest areas , fire line watch towers, check posts and timber pests | Repair / Strengthening of Forest Roads / Bridle Path | 2518.00 | 8.66 |
| 6 | | | Construction of Patrolling Shelters | 3 Nos. | 0.73 |
| 7 | | | Fire Lines maintenance | 5057.94 km | 0.85 |
| | | | **Sub-Total** | | **10.24** |
| 8 | 5(3)e | Construction of | Construction of Range, forester & | 76 | 19.18 |

| S.No | CAF Act/Rules | Head | Activity | Proposed | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Phy. Target | Fin. Target |
| | | residential and official buildings | forest guard level buildings | | |
| 9 | | | Infrastructural Strengthening in Residential premises of frontline staff | LS | 0.00 |
| | | | **Sub-Total** | | **19.18** |
| 10 | 5(3)h | Independent concurrent monitoring & evaluation and third party monitoring | Third Party Monitoring and Evaluation of activities implemented between 2017-18 to 2020-21 | **Ls** | 1.20 |
| 11 | 5(3)i | Publicity cum awareness programme | Training & Capacity Building / workshops for Staff and other stakeholders | 730 | 0.45 |
| 12 | | | Village / Range / Division level trainings / workshops under various forest divisions | 673 | 0.60 |
| 13 | | | Block level / District level / VP level workshops under VPs | 319 | 0.59 |
| 14 | | | Trainings and Exposure of Research Staff | **Ls** | 0.05 |
| 15 | | | Strengthening of Forestry Training Institutes | 3 | 3.30 |
| 16 | | | Publicity & Extension by Forest Department for protection, conservation and enforcement | **Ls** | 2.00 |
| 17 | | | Publication and extension under forestry research and Van Panchayats | **Ls** | 0.37 |
| | | | **Sub-Total** | | **7.36** |
| | | | **TOTAL (Rule 5(3)** | | **42.42** |
| | | | **TOTAL RULE 5** | | **232.46** |
| **4** | | **Activities as per Rules 6 (a) of CAF Rules, 2018** | | | |
| 1 | 6(a)i | To offset incremental cost of CA/PCA at increased wage rate | | | 15.96 |
| 2 | 6(a)iv | For disbursement of salary and allowances of members and staff | | **Ls** | 2.50 |
| 3 | 6(a)v | For disbursement of sitting fees and allowances to nominated members | | **Ls** | 0.10 |
| | | | **Total - Rule 6(a)** | | **18.56** |
| | | **Activities as per Rules 6(b) of CAF Rules, 2018** | | | |
| 1 | 6(a)i | Management of office establishment | | **Ls** | 1.50 |
| 2 | 6(a)ii | Office equipment including computers and | | **Ls** | 0.50 |

| S.No | CAF Act/Rules | Head | Activity | Proposed | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Phy. Target | Fin. Target |
| | | peripherals and its maintenance | | | |
| 3 | 6(a)iii | Hiring of staff cars for the use of officers and officials | | Ls | 0.25 |
| 4 | 6(a)iv | Hiring of buildings on lease for office establishment and residences of the officers | | Ls | 0.50 |
| 5 | 6(a)v | Other contingencies for management of state Authority | | Ls | 0.25 |
| | | | **Total -Rule 6(b)** | | **3.00** |
| | | | **Total Rule 6** | | **21.56** |
| **GRAND TOTAL** | | | | | **423.46** |

उक्त गतिविधियों का घटकवार सारांश निम्नुसार है :–

| वचनबद्व गतिविधियां | | | IWLMP | एन0पी0वी0 (NPV) | अर्जित ब्याज (Interest) | कुल योग (करोड़ रू0 में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्षतिपूरक वनीकरण (CA) | अन्य विशिष्ट कार्य (Others) | कैट प्लान (CAT) | | | | |
| 75.34 | 19.91 | 70.00 | 4.18 | 232.46 | 21.56 | 423.46 |

समिति द्वारा उक्तानुसार कुल रू0 423.46 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना की संस्तुति कर कैम्पा अधिनियम, 2016 की धारा– 18 (1) (i) के अनुसार इसे राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

**कार्यसूची संचालन समिति 7.4:– क्षतिपूरक वनीकरण के बैकलॉग की स्थिति।**

क्षतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत मार्च, 2022 तक 56824.23 है0 के सापेक्ष 49183.34 है0 लक्ष्य पूर्ण करने के उपरान्त वर्ष 2022–23 में 2415 है0 का क्षतिपूरक वनीकरण कार्य एवं 2200 है0 के क्षतिपूरक वनीकरण अग्रिम मृदा कार्य के लक्ष्य आवंटित किए गए। आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति उपरान्त वर्ष 2023–24 में 2200 है0 में वनीकरण कार्य व शेष 3025.89 है0 क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य प्रस्तावित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मार्च, 2022 के उपरान्त आतिथि तक परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष 1206.97 है0 के अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि क्षतिपूरक वनीकरण के बैकलॉग को प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाए व साथ ही नए प्राप्त हो रहे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष वनीकरण लक्ष्यों को भी समयान्तर्गत सम्पादित किया जाए।

**कार्यसूची संचालन समिति 7.5 :— CAF Act, 2016 के अंतर्गत गठित प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (CAF Fund) में जमा धनराशि एवं अर्जित ब्याज की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।**

CAF Act, 2016 की धारा–4(1) के अंतर्गत गठित उत्तराखण्ड राज्य कम्पेन्सेटरी एफोरेस्टेशन फण्ड (CAF Fund) में राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा जमा की गई राज्यांश (90%) की धनराशि, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा जमा की गई विगत वर्षों की अवशेष कैम्पा निधि, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त CAF Fund में वर्तमान में कुल रू0 2248.22 लाख की धनराशि उपलब्ध है। उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक कुल अर्जित ब्याज की धनराशि रू0 266.39 करोड़ को कैम्पा निधि में जमा किया जाना है, जिसके सापेक्ष फरवरी, 2023 के लेखों में रू0 150 करोड़ की धनराशि को आहरित कर CAF Fund में जमा किया जा चुका है व शेष रू0 116.39 करोड़ के अर्जित ब्याज को CAF Fund में जमा किए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

**कार्यसूची संचालन समिति 7.6 –उत्तराखण्ड कैम्पा के लेखों की लेखा प्रमाणीकरण कार्य की अद्यतन स्थिति :–**

सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लेखा प्रमाणीकरण की महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 का लेखा प्रमाणीकरण का कार्य माह फरवरी, 2023 तक पूर्ण कर लिया गया है। लेखा प्रमाणीकरण कार्य के दौरान ऑडिट टीम द्वारा विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को उपलब्ध कराए गये ऑडिट मीमो के उत्तर तैयार किए जाने हेतु सम्बन्धित जोनल अधिकारियों को प्रेषित किए गये हैं। क्रियान्वयन अभिकरणों से ऑडिट मीमो के उत्तर प्राप्त होने के पश्चात महालेखाकार कार्यालय को शीघ्र ही उपलब्ध करा दिए जाऐंगे।

**कार्यसूची संचालन समिति 7.7 – उत्तराखण्ड कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 की विषय केन्द्रित अनुपालन ऑडिट (Subject Specific Compliance Audit) के सम्बन्ध में :–**

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा माह मई, 2022 से माह जनवरी, 2023 तक उत्तराखण्ड कैम्पा के विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों का वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 की विषय केन्द्रित अनुपालन ऑडिट (Subject Specific Compliance Audit) का कार्य पूर्ण किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के माध्यम से ऑडिट की ड्राफ्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है, जिस पर दिनांक 25.04.2023 को प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय में सचिव, वन व वन विभाग के अधिकारियों के साथ Exit Conference भी सम्पन्न हुई है। Exit Conference में लिए गए निर्णय अनुसार सम्बन्धित प्रभागों के बिन्दु उन्हें प्रतिउत्तर/आख्या हेतु उनके नियंत्रक अधिकारियों के माध्यम से प्रेषित किए गये हैं। विभिन्न स्तरों से प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर शीघ्र ही प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय को समेकित आख्या उपलब्ध करा दी जाएगी।

**कार्यसूची संचालन समिति 7.8 – उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2022 की Balance Sheet के Adoption (अंगीकार) किए जाने के सम्बन्ध में।**

उत्तराखण्ड कैम्पा की वित्तीय वर्ष 2021–22 की बैलेन्स शीट तैयार कर सी0ए0जी0 इम्पैनल्ड सनधि लेखाकार (सी0ए0) फर्म मै0 के0डब्लू0 जैन एवं कं0 से आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ऑडिट कराकर आयकर विभाग में उत्तराखण्ड कैम्पा की आयकर विवरणी दाखिल कर दी गई है। समिति द्वारा तद्नुसार उत्तराखण्ड कैम्पा की वित्तीय वर्ष 2021–22 की बैलेन्स शीट का अनुमोदन प्रदान किया गया।

**कार्यसूची संचालन समिति 7.9 :– अन्य बिन्दु –**

- मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि कार्ययोजना के निरूपण हेतु प्रस्ताव/सूचना प्रेषित किए जाने से पूर्व सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा कार्यों के चयन सम्बन्धी प्रस्तावों पर सम्बन्धित जिलाधिकारी से आवश्यक विचार–विमर्श कर, उनके सुझाव प्राप्त कर लिए जाएं।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः निर्देशित किया गया कि राज्य में वन व वन्य जीवों की सुरक्षा के दृष्टिगत वनाग्नि सुरक्षा, मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों व प्रदेश में बढ़ रही बन्दरजनित समस्याओं के निराकरण हेतु इनसे सम्बन्धित गतिविधियों में नियमों की अनुमन्यता के अनुसार कैम्पा में इसके लिए समुचित प्राविधान किया जाए।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि कैम्पा के नियमों के अनुसार वार्षिक कार्ययोजना को समयबद्ध रूप से तैयार कर कार्यकारी समिति, संचालन समिति के माध्यम से समयान्तर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण, भारत सरकार को प्रेषित किया जाए। वर्ष 2024–25 की वार्षिक कार्ययोजना हेतु अभी से तैयारी प्रारम्भ कर ली जाए, ताकि राज्य प्राधिकरण को प्राप्त प्रस्तावों का मानकों के अनुसार परीक्षण हेतु पर्याप्त समय मिल सके व कार्ययोजना समय से निरूपित कर 31 दिसम्बर, 2024 तक राष्ट्रीय प्राधिकरण, भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा सके।
- कैम्पा कार्यों के तृतीय पक्ष मूल्यांकन के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2017–18 तक के कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य एफ0आर0आई0 द्वारा पूर्ण किया गया है। वर्ष 2017–18 के उपरान्त सम्पादित कैम्पा कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के सम्बन्ध में षष्ठम संचालन समिति में दिए गये निर्देशों के क्रम में वाह्य स्रोतों से तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराए जाने के विकल्पों के आधार पर शासन के नियोजन विभाग द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु निर्धारित संस्थाओं में से सम्बन्धित विषयक संस्थाओं से आर0एफ0पी0 की कार्यवाही की जा रही है।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन कार्यों की सेटेलाइट आधारित मॉनीटरिंग की जा रही है, उनका तृतीय पक्ष मूल्यांकन भी करवाया जाए। साथ ही मुख्य रूप से वे गतिविधियां, जिनकी सेटेलाइट आधारित मॉनीटरिंग सम्भव न हो, उनको तृतीय पक्ष मूल्यांकन के अंतर्गत अवश्य सम्मिलित किया जाए।
- अन्त में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष–संचालन समिति एवं समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की समाप्ति की गई।

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

संलग्नक

1. श्री आर0के0 सुधांशु, प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. श्री अनूप मलिक, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. श्री पंकज अग्रवाल, अपर प्रमुख वन संरक्षक, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (आई0आर0ओ0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. डॉ0 समीर सिन्हा, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. श्री वी0 आर0 पुरूषोत्तम, सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. श्री एस0एस0 रसाईली, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव, अपर सचिव, राजस्व, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. श्री राजेन्द्र कुमार, अपर सचिव (समाज कल्याण), प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, जनजाति, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
9. श्री आनन्द स्वरूप, अपर सचिव, पंचायती राज, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
10. श्री विजय कुमार जोगदण्डे, अपर सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
11. श्री ए0एस0 चौहान, अपर सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
12. श्री दिनेश वर्मा, संयुक्त निदेशक, नियोजन, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
13. श्री जी0एस0 पाण्डे, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।